भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4839

23.03.2026 को उत्तर के लिए

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अंतर्गत प्रवर्तन कार्रवाई

4839. सुश्री इकरा चौधरी:
एडवोकेट प्रिया सरोज:
श्री देवेश शाक्य:
श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और उत्तर प्रदेश के एटा और कासगंज सहित जिला-वार कितनी औद्योगिक इकाइयों, निर्माण स्थलों और अन्य निकायों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के मानकों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है;

(ख) बंद करने के किए गए जारी आदेश, लगाए गए पर्यावरणीय मुआवजे और वास्तव में वसूल की गई राशि सहित उक्त जिलों सहित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बार-बार उल्लंघन करने वालों की पहचान की गई है और उक्त जिलों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मामलों में अभियोजन चलाया गया है अथवा परिसरों को सील किया गया है;

(घ) लगाए गए जुर्माने और वसूले जाने वाले जुर्माने के बीच का अंतर क्या है और वसूली नहीं किए जाने अथवा प्रवर्तन में उक्त जिलों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने और केवल अत्यधिक प्रदूषण की अवधि तक ही सीमित मौसमी तथा अस्थायी प्रवर्तन को रोकने के लिए क्या निगरानी तंत्र अपनाया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, सरकार ने "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021" के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की स्थापना की है, ताकि दिल्ली-एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान किए जा सकें। इस अधिनियम के तहत सीएक्यूएम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों को वायु गुणवत्ता

की सुरक्षा और सुधार के लिए उपाय करने तथा निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उत्तर प्रदेश के एटा और कासगंज जिले दिल्ली-एनसीआर का हिस्सा नहीं हैं।

अब तक, सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए संबंधित हितधारकों को 98 वैधानिक निर्देश और 17 परामर्शी पत्र जारी किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रदूषणकारी गतिविधियों के लिए कड़े उत्सर्जन मानक निर्धारित करना, दिल्ली से 300 किमी के भीतर स्थित तापीय विद्युत संयंत्रों तथा दिल्ली-एनसीआर में कोयला आधारित कैप्टिव तापीय विद्युत संयंत्रों में बायोमास पेलेट्स (5 से 10% तक) के सह-दहन को अनिवार्य करना, तथा पंजाब और हरियाणा के एनसीआर से बाहर स्थित जिलों के सभी ईंट भट्ठों में धान के पुआल आधारित बायोमास पेलेट्स/ब्रिकेट्स के उपयोग को अनिवार्य करना शामिल है। इन निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और आवधिक प्रगति की समीक्षा करके तथा तत्पश्चात् समय-समय पर आदेश और निर्देश जारी करके इन निर्देशों के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी की जाती है।

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) एनसीआर के लिए एक आपातकालीन कार्रवाई कार्ययोजना है, जिसके अंतर्गत दिल्ली की वायु गुणवत्ता के आधार पर ग्रैप अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक निवारक/प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए जाते हैं।

सीएक्यूएम द्वारा समय-समय पर जारी वैधानिक निर्देशों तथा वायु प्रदूषण से संबंधित अन्य पर्यावरणीय कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक प्रवर्तन कार्य बल (ईटीएफ) का गठन किया गया है।

फ्लाइंग स्क्वॉड/निरीक्षण टीमों का गठन किया गया है, जो वर्षभर (ग्रैप अवधि सहित) गुप्त रूप से निरीक्षण करती हैं, ताकि सीएक्यूएम द्वारा जारी निर्देशों के गंभीर उल्लंघनों की पहचान कर उनकी गंभीरता के आधार पर उचित कार्रवाई की जा सके। ये निरीक्षण मुख्य रूप से उद्योगों, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों तथा डीजल जनरेटर सेट्स पर केंद्रित रहते हुए एसपीसीबी/डीपीसीसी की कार्रवाई को मजबूत करते हैं।

ईटीएफ अपनी नियमित बैठकों के माध्यम से फ्लाइंग स्क्वॉड/निरीक्षण टीमों की सिफारिशों पर विचार करता है और प्रत्येक निरीक्षण रिपोर्ट पर उपयुक्त निर्देश जारी करता है, जिसमें सीएक्यूएम द्वारा जारी बंद करने के आदेशों और पुनः शुरू करने के आदेशों की स्थिति की समीक्षा भी शामिल होती है।

प्रवर्तन कार्यों की निगरानी के लिए “सुरक्षा एवं प्रवर्तन” पर एक उप-समिति का भी गठन किया गया है।

दंड के संबंध में, प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों द्वारा पुनः संचालन की अनुमति देने से पहले वसूल किया जाता है।

दिनांक 14.10.2025 से 16.03.2026 के दौरान ग्रैप लागू रहने की अवधि में किए गए राज्यवार प्रवर्तन कार्यों का विवरण, जिसमें उत्तर प्रदेश के जिला-वार कार्रवाई भी शामिल है, **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

दिनांक 14.10.2025 से 16.03.2026 तक ग्रैप अवधि के दौरान सीएक्यूएम द्वारा किए गए प्रवर्तन कार्यों का राज्य-वार विवरण, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में उत्तर प्रदेश के जिला-वार कार्रवाई भी शामिल है।

i. इस अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों पर की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:

(i) औद्यौगिक क्षेत्र :

कार्रवाई	**यूपी**	**हरियाणा**	**दिल्ली**	**राजस्थान**	**कुल**
बंद करने के आदेश	53	98	03	08	**162**
कारण बताओ नोटिस (एससीएन)	79	95	01	12	**187**
एसपीसीबी/डीपीसीसी को पत्र	04	09	01	01	**15**

इसमें से एक इकाई के संबंध में यह पाया गया है कि उसमें बार-बार उल्लंघन हो रहा था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया कि वह ऐसे बार-बार करने वालों पर निवारक (कड़े) पर्यावरणीय मुआवजा तथा उसके मुकद्दमा चलाएं।

उत्तर प्रदेश का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	बंद करने के आदेश	कारण बताओ नोटिस (एससीएन)	एसपीसीबी/डीपीसीसी को पत्र
	बागपत	01	-	-
	बुलन्दशहर	07	04	-
	गौतमबुद्धनगर	09	10	01
	गाजियाबाद	14	33	-
	हापुड	11	13	02
	मेरठ	03	11	-
	मुजफ्फरनगर	06	08	01
	शामली	02	-	-
कुल		**53**	**79**	**04**

(ii) निर्माण और विध्वंस की कार्रवाई

कार्रवाई	**यूपी**	**हरियाणा**	**दिल्ली**	**राजस्थान**	**कुल**
बंद करने के आदेश	28	30	0	3	61
कारण बताओ नोटिस (एससीएन)	07	16	05	00	28
यूपीपीसीबी और एचएसपीसीबी को पत्र	05	01	0	0	06

इसमें से अभिचिन्हित बार-बार उल्लंघन करने वालों की संख्या 03 थी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/डीपीसीसी को निर्देशित किया गया कि वे इन बार-बार उल्लंघन करने वालों पर निवारक (कड़े) पर्यावरणीय मुआवजा लगाएं तथा उनके विरुद्ध मुकद्दमा चलाएं।

उत्तर प्रदेश का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**बंद करने के आदेश**	**कारण बताओ नोटिस (एससीएन)**	**यूपीपीसीबी को पर्यावरणीय मुआव्जा लगाने हेतु पत्र**
1.	बागपत	0	0	0
2.	बुलन्दशहर	0	0	0
3.	गौतमबुद्धनगर	24	04	04
4.	गाजियाबाद	1	03	01
5.	हापुड	2	0	0
6.	मेरठ	0	0	0
7.	मुजफ्फरनगर	1	0	0
8.	शामली	0	0	0
कुल		**28**	**07**	**05**

(iii) डीजी सेट्स- सीलिंग की स्थिति

दिनांक 19.10.2025 (चरण -II) से दिनांक 16.03.2026 (ग्रैप अवधि के दौरान)

डीजी सेट्स की सीलिंग	**यूपी**	**हरियाणा**	**दिल्ली**	**राजस्थान**	**कुल**
यूनिट्स	66	84	11	07	168
डीजी सेट्स की संख्या	90	110	14	09	223

उत्तर प्रदेश में जिला-वार डीजी सेट सीलिंग की स्थिति

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**यूनिट्स**	**डीजी सेट्स की संख्या**
	बागपत	-	-
	बुलन्दशहर	2	2
	गौतमबुद्धनगर	18	26
	गाजियाबाद	20	25
	हापुड	13	13
	मेरठ	08	13
	मुजफ्फरनगर	04	10
	शामली	01	01
कुल		**66**	**90**
